टी एंड डी में नई पहल

वर्तमान टी एंड डी व्यवसाय में कुछ खास परिवर्तन हो रहे हैं। इनका उद्देश्य ग्राहकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखना तथा अधिक जरूरी विद्युत सुधारों को सुकर बनाना है। इसके लिए कई कंपनियां बनाई जा रही हैं और हर कंपनी नई गतिविधियां शुरू कर रही है। टी एंड डी स्कीमों के वित्तपोषण के लिए नया कार्यनीतिक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।

अब तक यूटिलिटियां आर ई सी द्वारा स्वीकृति के लिए तदर्थ आधार पर स्कीमों को प्रस्तुत कर रही थीं। अब उन्हें जिला/ तहसील/ ब्लॉकवार मूल सुविधा विकास स्कीमें बनाने के लिए कहा जा रहा है जिनमें क्षेत्र की संपूर्ण अपेक्षाओं को शामिल किया जाता है तथा सकल तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों (एटीएंडसी) में कमी लाने की समयबद्ध समयतालिका तैयार की जाती है।

यूटिलिटियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, जिनमें अगली योजनावधि में उनकी बिजली क्षेत्र की सारी आवश्यकताओं के वित्तपोषण का ध्यान रखा जाएगा।

भारत में स्थापित संयुक्त उद्यम तथा पूर्ण रूप से स्वामित्वाधीन कंपनियां

विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंध पारेषण तथा वितरण के क्षेत्रों में नए अवसर तथा चुनौतियां पेश करते हैं। विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना विद्युत अधिनियम 2003 के मुख्य संघटकों में से एक है। इन नए अवसरों से फायदा उठाने तथा बिजली क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने के लिए, आर ई सी ने पूर्ण स्वामित्वाधीन कंपनियां आर.ई.सी ट्रंसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड तथा आर.ई.सी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड गठित की है।

आर ई सी ट्रंसमिशन कंपनी

कंपनी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- भारत और विदेश में पारेषण, वितरण तथा अन्य संबंधित गतिविधियों के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना और/या उनका व्यवसाय करना और परियोजनाएं कार्यान्वित करना ;
- पारेषण सेवाओं की प्राप्ति जिसमें सर्वेक्षण, डीपीआर सूत्रीकरण, वित्तपोषण की व्यवस्था, परियोजना प्रबंध, मार्ग अधिकार अभिप्राप्त करना, आवश्यक अनुमति लेना, स्थल पहचान, भूमि मुआवजा, पारेषण लाइनों और/ या उपकेंद्रों और/या स्विचिंग केंद्र और/ या एचवीडीसी लिंकों का डिजाइन, इंजीनियरिंग, उपकरण, सामग्री, संनिर्माण, उत्थापन, परीक्षण, कमीशनिंग, जिसमें टर्मिनल केंद्रों तथा एचवीडीसी पारेषण लाइनें सम्मिलित हैं, तथा इनका रखरखाव तथा प्रचालन सम्मिलित है ;
- पारेषण गतिविधियां आरंभ करना, अपेक्षित लाइसेंस के लिए आवेदन करना, तथा कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक ऐसी गतिविधियों के आनुषंगिक सभी काम करना ;
- परियोजना विनिर्दिष्ट कंपनियों का गठन करना और उनकी संरचना करना या पूर्वोक्त गतिविधियों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन और पारेषण सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई संस्था, समनुषंगी कंपनी की संरचना करना और प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से पारेषण सेवाओं में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना ;
- यथा पूर्वोक्त इसके उद्देश्य के अनुसरण में संयुक्त उद्यम बनाना, किसी कंपनी या किन्हीं भी कंपनियों का विलय करना।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 में टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से पारेषण परियोजनाओं के विकास की व्यवस्था है। पारेषण क्षेत्र में निजी सेक्टर विनिवेश हेतु फ्रेमवर्क बनाने के लिए, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 13.4.2006 को "पारेषण सेवाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली दिशानिर्देश " अधिसूचित किए थे। इनका मुख्य उद्देश्य पारेषण सेवाओं की प्रतिस्पर्धात्मक खरीद और पारेषण लाइनों में निजी विनिवेश को बढ़ावा देना है।

इस स्कीम के अधीन विकास के लिए परियोजनाओं की पहचान करने हेतु, सी ई आर सी के सदस्य की अध्यक्षता में एक सशक्तीकृत समिति का गठन किया गया। इस समिति ने टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विकास के लिए 14 परियोजनाओं की पहचान की।

स्वयं बनाओ, स्वामी बनो और चलाओ (बीओओ) आधार पर निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से सनिर्माण के लिए 14 पारेषण प्रणालियों, जिनकी समिति ने पहचान की, में से दो ऐसी पारेषण प्रणालियों, अर्थात,

(i) उत्तरी कर्णपुरा के लिए मूल्यांकन प्रणाली और
(ii) तलचेर संवर्धन प्रणाली

को प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से विकासकर्ता के चयन के लिए आर ई सी को आबंटित किया गया है।

टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से प्रस्तावित की जाने वाली ऐसी पारेषण परियोजनाओं के विकास का कार्य आरईसी ट्रंसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लि. पूर्णतः स्वामित्वाधीन समनुषंगी कंपनी के माध्यम से आरईसी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

आरईसी ट्रंसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी के अधीन, दो परियोजनाए विनिर्दिष्ट हैं एस पी वी अर्थात्-

(i) उत्तर कर्णपुरा ट्रंसमिशन कंपनी लिमिटेड तथा
(ii) तलचेर संवर्धन प्रणाली पारेषण कंपनी लिमिटेड,
बनाई गई हैं।

इन एसपीवी का, विकासकर्त्ता को लाइसेंस देने के पश्चात, पारेषण प्रणाली के पारेषण सेवा प्रदाता (टीएसपी) के साथ विलय कर दिया जाएगा।
पारेषण सेवाओं की खरीद हेतु बोली प्रक्रिया का समन्वयन करने के लिए, बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) अपेक्षित है। आर ई सी उक्त दोनों परियोजनाओं के लिए बीपीसी के रूप में नामित किया गया है।

आर ई सी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी -

इस कंपनी के प्रमुख उद्देश्य होंगे :-

- 66 केवी तथा उससे नीचे के तंत्र तथा लाइनों का संवर्धन, विकास; निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन, वितरण तथा रखरखाव करना ;
- विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) तथा सहबद्ध वितरण तंत्र का संवर्धन, विकास, संनिर्माण, स्वामित्व तथा प्रबंधन करना ;
- भारत तथा विदेश में अन्य अभिकरणों/ सरकारी निकायों के लिए उपरोक्त क्षेत्रों में कार्य का परामर्श/ निष्पादन करना;
- वितरण/ डीडीजी सेक्टर में संयुक्त उद्यम भागीदारी करना या ऊपर कहे गए उद्देश्यों के अनुसरण में किसी कंपनी या किन्हीं भी कंपनियों द्वारा सृजित समनुषंगियों में विलय करना।